20-5-19

पत्रावली प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से पूर्व में जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। वकील वादी को प्रकरण के कम में सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1636 रकबा 0.63 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम छोटू वल्द भूरा के स्थान पर छोटूलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिकी पारित की जावें।

जवाब सरकार एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में कथन किये है कि वादी के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में स्थित है। जिसके ख0नं0 1636 रकबा 0.63 हे0 भूमि में वादी का नाम छोटू वल्द भूरा जाति माली दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के अन्य खाता सं0 नया 600 पुराना 560 की जमाबंदी में सहखातेदार हजारीलाल के साथ छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अन्य खाता सं0 की जमाबंदी

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुताबिक छोटू वल्द भूरा के स्थान छोटूलाल वल्द भंवरलाल जाति माली दर्ज किया जाना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। तत्पश्चात् तहसीलदार दीगोद से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ग्राम कोटडादीपसिंह की जमाबंदी सं0 2071–74 के खाता सं0 166 में दर्ज काश्तकार का नाम छोटू पुत्र भूरा जाति माली दर्ज है। उपरोक्त व्यक्ति के बारें में जांच में पाया गया कि खातें में दर्ज व्यक्ति छोटु पुत्र भुरा जाति माली का नाम छोटुलाल पुत्र भंवरलाल भी है। ग्राम वासियान के अनुसार व जांच में पता लगा है कि उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है, जिसकी जाति माली है, जो कि ग्राम कोटडादीपसिंह का निवासी है।

बाद वहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं जवाब सरकार तथा रिपोर्ट तहसीलदार पर प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद स्थित ख0 नं0 1636 रकबा 0.63 हे0 भूमि जमाबंदी सं0 2071–74 में वादी का नाम छोटू वल्द भूरा जाति माली सा0 देह दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी सं0 2071–74 खाता सं0 600 ग्राम कोटडादीपसिंह में वादी का नाम छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली सा0 देह दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम छोटूलाल पुत्र भंवरलाल अंकित है। ग्राम पंचायत कोटडादीपसिंह द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.08.2018 के अनुसार छोटूलाल पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा जाति माली एक ही व्यक्ति है और दोनों नामो से जाना जाता है। वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में स्वयं का एवं सत्यनारायण पुत्र पन्नालाल जाति माली आयु 45 वर्ष निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी का नाम दुरूस्त किये जानें की सहमति प्रकट की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, जवाब सरकार एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार दीगोद के अनुसार वादी का नाम छोटूलाल पुत्र भंवरलाल होना प्रकट होता है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1636 रकबा 0.63 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम छोटू वल्द भूरा जाति माली के स्थान पर छोटूलाल उर्फ छोटू वल्द भंवरलाल उर्फ भूरा जाति माली दर्ज किया जावें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर, दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–102/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामबाबू दाधीच मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1636 रकबा 0.63 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम छोटू वल्द भूरा जाति माली के स्थान पर छोटूलाल उर्फ छोटू वल्द भंवरलाल उर्फ भूरा जाति माली दर्ज किया जावें।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 20/05/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner